माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल
(मध्य प्रदेश विधनसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Set up by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक / परीक्षा–1 / Dec 26-Jan 2027/ 1063 भोपाल, दिनांक 27 / 10 / 2026 4/11/26

:: संशोधित अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा अधिसूचना क्रमांक Exam-1/Dec-2026-Jan 2027/971 Dated 05.10.2026 जारी की गई थी। जिसमें परीक्षा फार्म एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाईन भरे जाने की **अंतिम तिथि 13 नवंबर, 2026** एवं **500 रूपये विलम्ब शुल्क** के साथ **20 नवंबर, 2026** निर्धारित की गई है।

अध्ययन संस्थाओं के प्राप्त अभ्यावेदनों एवं छात्र हित को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार के समस्त स्नातक, स्नातकोत्तर, **पी.एच.डी. कोर्स**–वर्क, समस्त डिप्लोमा एवं पोस्ट ग्रेज्यूएट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के परीक्षा फार्म भरे जाने की तिथि **अंतिम तिथि 20 नवंबर, 2026** एवं **500 रूपये विलम्ब शुल्क** के साथ **25 नवंबर, 2026** निर्धारित किया जाना है :–

S. No.	Particulars	Last Date of submission of Exam Forms by Associated Study Institutes /UTD
A	Students enrolled in July 2026 Session and before.	20 November 2026
B	With Late Fee of Rs. 500/- per Form	25 November 2026

शेष नियम एवं शर्ते पूर्व में परीक्षा सत्र **दिसंबर 2026–जनवरी 2027** के लिए जारी परीक्षा अधिसूचना क्रमांक Exam-1/Dec-2026-Jan 2027/971 Dated 05.10.2026 के अनुसार रहेंगी।

इसके पश्चात् किसी भी स्थति में परीक्षा फार्म स्वीकार नही किए जा सकेंगे।

(डॉ. पी. शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव

क्रमांक / परीक्षा–1 / Dec 26-Jan 2027/ 1064 भोपाल, दिनांक ~~27~~ / 10 / 2026 4/11/26

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक कुलगुरू, कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग / समस्त परिसर प्रभारी भोपाल / खण्डवा / रीवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. निदेशक, ए.एस.आई. को सूचनार्थ। कृपया संशोधित अधिसूचना से सभी संबंद्ध अध्ययन संस्थाओं को अवगत करायें।
4. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक कुलसचिव, गोपनीय / परीक्षा / नामांकन / मूल्यांकन / उपाधि शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संचालक, एम.पी ऑनलाईन लिमिटेड को सूचनार्थ।
8. समस्त संचालक / प्रभारी, संबंद्ध अध्ययन संस्था को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डॉ. पी. शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव